बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सर्वेक्षण–संक्षेप

एरियल सर्वे, ऑर्थोफोटोग्राफी, मानचित्र निर्माण,
विशेष सर्वेक्षण में है बनना, डिजिटाइज्ड खतियान।
भू–प्रकृति उपयोग आधारित, निर्धारित लगान,
एकीकृत, सरल, प्रभावी सेवा, करना है प्रदान।।

किश्तवार, खानापुरी, सुनवाई विश्रांति,
डिजिटाइज्ड अधिकार–अभिलेख से दूर होगी भ्रांति।
ऑर्थोसत्यापन, खेसरा क्रमांकन, मुस्तकिल अनिवार्य,
किश्तवार के प्रक्रम में है महत्वपूर्ण कार्य।।

ग्राम–सरहद का निश्चित पैमाना, खोजें पुराना तीन सीमाना,
हू–ब–हू नक्शा करें तैयार, उत्तर–पश्चिम से लगातार।
कलस्टर में करना है कार्य, तोखा लाईन है स्वीकार्य,
रियल टाइम मैप बनेगा जब, स्थिति होगी तब स्पष्ट।।

खेसरों के खानों को भरना, सिलसिलेवार नंबर है देना,
खानापुरी की यही है रीति, नक्शे के खानों की पूर्ति।
याददाश्त पंजी आधार, खेसरा पंजी हो तैयार,
खानापुरी पंजी निर्माण, एलपीएम देना है बाँट।।

दावा–आक्षेपों की सुनवाई, अधिकार–अभिलेख की करें तैयारी,
सफाई, मुकाबला और तरमीम, अंतिम प्रकाशन से पूर्व तरतीब।
अधिनियम में है प्रावधान, निर्धारित हो उचित लगान,
चार प्रतियों में अधिकार–अभिलेख, नियमावली में है उल्लेख।।

सूचना, शिक्षा और संचार, विशेष सर्वेक्षण के मुख्य आधार,
मार्गदर्शन की हो दरकार, एफएक्यू भी है तैयार।
अमीन हो या बंदोबस्त पदाधिकारी, सबकी निश्चित जिम्मेवारी,
आएँ ! मिलकर करें प्रयत्न, भू–विवाद का करने अंत।।

साभारः
डॉ0 श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0,
विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।